न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
203 / 2019	16.07.2019	03.03.2021

उनवान

1. प्रभू पुत्र श्री मोहरिया जाति गुसाई निवासी जागीवाडा की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा:– ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03.03.2021

उपस्थिति :–

1– श्री गगांराम पटेल, वकील वादीगण

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :–

आराजी हाल खसरा नम्बर 1023 / 861 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिस आराजी में प्रभू पुत्र श्री मोहरिया जाति गुसाई का हिस्सा विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1023 / 861 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर में मिन वादी का 5 / 16 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन वादी काबिज है, जो आराजी मिन वादी को विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त आराजी पैत्रिक भूमि है, विरासत में प्राप्त हुयी है। मिन वादी की जाति गुसाई है, और पूर्व के राजस्व रिकोर्ड में गुसाई दर्ज है, मिन वादी का खानदान गुसाई जाति से है, तथा साबिक राजस्व रिकोर्ड में भी गुसाई जाति दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने आपस में साज बाज होकर मिन वादी की जाति गुसाई की जगह कुम्हार दर्ज कर दी जो मिन वादी के खातेदारी अधिकारो के खिलाफ है, मिन वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है, मिन वादी अपनी आराजी पर क्रेडिट कार्ड नही उठा पा रहा है, मिन वादी अपनी आराजी को रहन, बय, [illegible] असमर्थता हो रही है मिन वादी की आराजी में जाति कुम्हार अंकित होने से मिन [illegible] को [illegible] क्षति हो रही है, जिसकी पूर्ती करना नामुमकिन है। क्योंकि मिन वादी अपनी [illegible] की क्रेडिट लाभ नही ले पा रहा है जबकी मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा [illegible] है, जिनकी रक्षार्थ हेतु दावा इश्तकरारहक पेश करना लाजिम आया है और मिन वादी अपनी जाति गुसाई दर्ज कराने का अधिकारी है। मिन वादी दिनांक 05.09.2019 को उक्त आराजी की नकल वास्ते क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने जानकारी दी की आपकी जाति गुसाई की जगह कुम्हार दर्ज चल रही है, जो सहवन से दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:19 IST
Reason: SelfAttested

४५६

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

गयी तो मिन वादी ने प्रतिवादीगण से मोखिक और लिखित में मिन वादी की जाति कुम्हार की जगह दुरूस्त करके गुसाई दर्ज की जावें। जिससे मिन वादी के खातेदारी अधिकार सुरक्षित रह सके तो प्रतिवादीगण ने मिन वादी को जाति दुरूस्त करने की हॉ कर ली लेकिन दिनांक 07.07.2019 को प्रतिवादीगण ने मिन वादी को स्पष्ट मना कर दिया कि हम उक्त जाति गुसाई दर्ज नही कर सकते तो अविलम्ब ही मिन वादी ने दावा इश्तकरारहक पेश करना लाजिम आया है तथा यह तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखस्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :– कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1023/861 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में मिन वादी की जाति कुम्हार जो दर्ज है, दुरूस्त की जाकार गुसाई दर्ज की जावे, अर्थात मिन वादी को प्रभू पुत्र मोहरिया 5/16 हिस्सा गुसाई खातेदार घोषित किया जावे। आदेश दिये जावें ओर जाति कुम्हार को हजफ किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित नही हुए। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, इंतकाल संख्या 253 किता 2 प्रदर्श–2, नामांतकरण दिनांक 10.11.1994 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2044 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2052 प्रदर्श–5 पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादी के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 1023/861 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में प्रभू पुत्र मोहरिया 5/16 हिस्सा गुसाई खातेदार घोषित कर उनकी जाति के बाबत हो रहे कुम्हार इन्दाज को हजफ कर गुसाई जाति दर्ज किये जाने के आदेश दिये ज़ाते है, तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:19 IST
Reason: SelfAttested

3/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
203/2019	16.07.2019	03.03.2021

उनवान

1. प्रभू पुत्र श्री मोहरिया जाति गुसाई निवासी जागीवाडा की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा:– ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से **श्री गंगाराम पटेल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 03.03.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती है** :–

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 1023/861 रकबा 0.10 ऐयर वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में, प्रभू पुत्र मोहरिया 5/16 हिस्सा गुसाई खातेदार घोषित कर उनकी जाति के बाबत हो रहे कुम्हार इन्दाज को हजफ कर गुसाई जाति दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 **को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा** से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:10 IST
Reason: SelfAttested

6/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0